

न्यायालय श्रीमति डॉ० दिव्या मिश्रा

सिविल जज (वरीय कोटी)–II, बोकारो

Original Suit No- 68/2022

मेसर्स बी.सी.सी.एल. ई.जे. एरिया, भौरा (जी.एम) वादी

बनाम्

झारखण्ड सरकार, मंगल मांझी एवं अन्य प्रतिवादीगण

नोटिस बनाम

1. मंगल मांझी (प्रतिवादी सं०-5), पिता- लूलू मांझी
2. बानेश्वर मांझी (प्रतिवादी सं०-06), पिता- लूलू मांझी
3. शाम मांझी (प्रतिवादी सं०-07), पिता- सुक्कु मांझी
4. मसुमात बुधनी मांझीयॉन (प्रतिवादी सं०-08), पति- रसिक मांझी
5. नरू मांझी (प्रतिवादी सं०-09), पिता- कोका मांझी
6. मसुमात नूनी मांझीयॉन (प्रतिवादी सं०-10), पिता- जरा मांझी

सभी साकीम – ग्राम गूदानिभीठा (चंदनकयारी), पो०+पी०एस०- चंदनकयारी, जिला-बोकारो, झारखंड इस प्रकाशन के माध्यम से आप सबों को सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध उपरोक्त वाद में स्वत्व वाद का मुकदमा दायर किया गया है। उपरोक्त वाद में आप सभी प्रतिवादी हैं। न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत होने के बावजूद आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अतः आप सबों को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.11.23 को सुबह 10.30 बजे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर उक्त वाद में अपना पक्ष रखें, अन्यथा आप सबों की अनुपस्थिति में वाद सुनवाई आपके विरुद्ध एक पक्षीय की जाएगी।

ह०/- सिविल जज (वरीय कोटी) –II
सिविल कोर्ट, बोकारो